संo: 1461 /81–8(1)अति0अति0ऊ0स्रो0वि0/2022

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

**अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग** **लखनऊ : दिनांक 7 दिसम्बर, 2022**

**विषयः– उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा नीति–2022 के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश।**

महोदय,

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1096/87–8(1)अति0 ऊ0स्रो0वि0/2022, दिनांक 03 अक्टूबर, 2022 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य जैव ऊर्जा नीति–2022 निर्गत की गयी है, जिसकी प्रति यूपीनेडा की वेबसाइट के लिंक http://online.upneda.in/app/ पर उपलब्ध है। वर्तमान परिदृश्य में कृषि अपशिष्ट को खेतों में ही जला दिये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न पर्यावरणीय संकट की समस्या से निदान के लिए अपशिष्ट आधारित जैव ऊर्जा उद्यमों की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति–2022 एक महत्वपूर्ण विकल्प प्रदान करती है। इस नीति के अंतर्गत तहसील को एक कैचमेंट एरिया मानते हुए प्रदेश के प्रत्येक तहसील में कृषि अपिशिष्ट/पराली पर आधारित जैव ऊर्जा प्लांट की स्थापना का लक्ष्य है। इस हेतु जैव ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के सम्बन्ध में निम्नवत् दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते हैं:–

**1. आवेदन**

जैव ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु यूपीनेडा बायो एनर्जी पोर्टल http://online.upneda.in/app/ पर ऑनलाइन आवेदन करने पर लॉगइन आई0डी0 व पासवर्ड क्रिएट होगा, जिसका उपयोग निवेशक द्वारा पोर्टल पर नीति के बिन्दु संख्या–6.6 के क्रम में निम्नांकित प्रपत्रों के साथ आवेदन किया जाएगा :–

1) आवेदन पत्र।
(2) कम्पनी के मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन/पंजीकृत सोसाईटी की उपविधियों की प्रमाणित प्रति।
(3) भागीदारी–विलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि, (यदि लागू हों)।

Scanned with CamScanner

(4) विगत तीन वर्षों के लेखे (बेलेन्स शीट) की प्रति। स्टार्टअप के केस में प्रोमोटर कम्पनी/मदर कम्पनी की बैलेन्सशीट।

(5) पूर्व साध्यता (प्री–फीजिबिलिटी) प्रतिवेदन।

(6) पंजीकरण शुल्क रूपये दस हजार प्रति इकाई मूल्य का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट। यह पंजीकरण शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा।

ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण यूपीनेडा स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा। एक तहसील हेतु एक से अधिक आवेदन होने की स्थिति में प्रस्तावों की क्षमता, स्वयं की उपलब्ध भूमि, पूर्ण प्रपत्रों के साथ आवेदन की तिथि तथा विकासकर्ता के नेटवर्थ के आधार पर उसे प्राथमिकता दी जाएगी। प्रपत्रों के सही पाये जाने की दशा में सम्बन्धित निवेशक द्वारा नीति के बिन्दु संख्या–6.7 के अनुसार निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएंगे :–

(1) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।

(2) बायोमास एसेसमेन्ट रिपोर्ट।

(3) भूमि सम्बन्धी दस्तावेज (परियोजना हेतु चिह्नित स्थल)।

(4) सी0पी0एम0/पर्ट चार्ट (प्रस्तावित परियोजना क्रियान्वयन हेतु)।

(5) परियोजना स्थल पर पानी की उपलब्धता के आधार पर जल आवंटन आदेश।

(6) परियोजना का शहरी क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने की दशा में विकासकर्ता द्वारा सम्बन्धित नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र।

शासन स्तर पर गठित समिति के अनुमोदन के उपरांत बायो प्लॉण्टों हेतु जमा की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर 03 प्रतिशत परफारमेंस गारण्टी निवेशकर्ता द्वारा 30 माह हेतु यूपीनेडा में जमा की जाएगी।

उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत फर्म के साथ इम्प्लीमेन्टेशन अनुबन्ध निष्पादित कर एल. ओ.आई. निर्गत किया जायेगा। संयंत्रों की स्थापना हेतु निर्धारित समय सीमा इम्प्लीमेण्टेशन एग्रीमेण्ट से 02 वर्ष होगी।

**2. भूमि का आवंटन तथा तत्सम्बन्धित अनुमतियाँ**

विभिन्न जैव ऊर्जा संयंत्रों के लिए भूमि की आवश्यकता का आंकलन निम्नानुसार निर्धारित है निवेशकर्ता जिनके पास इकाई स्थापना तथा संचालन हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है, उन्हें उक्त आधार पर उपलब्धता के अनुसार भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। तदनुसार ही भूमि सम्बन्धित अनुमतियाँ, लैण्ड सीलिंग से छूट, भू–उपयोग परिवर्तन आदि प्रदान करने हेतु विकासकर्ता को ऑनलाइन आवेदन करना होगा :–

- 10 टन क्षमता के सीबीजी संयंत्र के लिए 10 एकड़ भूमि तथा भंडारण हेतु अतिरिक्त 25 एकड़ भूमि।
- 100 टन प्रतिदिन बायो–कोल संयंत्र के लिए 2 एकड़ भूमि।
- 100 किलोलीटर बायो–डीजल/बायो–एथेनॉल संयंत्र के लिए 1.5 एकड़ भूमि।

Scanned with CamScanner

**3. अनुदान**

जैव ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के उपरांत उन पर अनुमन्य अनुदान निम्नवत् है:-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन संयंत्रों पर | रू0 75 लाख प्रति टन की दर से अधिकतम रू0 20 करोड़। |
| 2. | बायोकोल उत्पादन संयंत्रों पर | रू0 75,000/- प्रति टन की दर से अधिकतम रू0 20 करोड़। |
| 3. | बायो-डीजल/कृषि अपशिष्ट आधारित बायो-एथेनॉल उत्पादन संयंत्रों पर | रू0 3 लाख प्रति किलोलीटर की दर से अधिकतम रू0 20 करोड़। |

- इस अनुदान का प्रयोग प्लॉण्ट एवं मशीनरी, बुनियादी ढांचा, निर्माण कार्य, विद्युत आपूर्ति तथा पारेषण तंत्र के लिए किया जा सकता है, जिसमें प्रशासनिक भवन की निर्माण लागत एवं भूमि की लागत सम्मिलित नहीं होगी।
- अनुदान, संयंत्र के निर्धारित क्षमता पर उत्पादन आरम्भ होने के उपरांत एमएनआरई, भारत सरकार के दिशा-निर्देश 300/2/2020-वेस्ट-टू-इनर्जी, दिनांक 02.11.2022 के अनुसार संयंत्र का निरीक्षण तथा प्रपत्रों का परीक्षण कर अवमुक्त किया जाएगा, जो निम्नवत् है:-
  1. प्रतिदिन बायो-सी0बी0जी0 का उत्पादन।
  2. बायो-सी0बी0जी0 उत्पादन डेटा :-
     (अ) 72 घण्टे संचालन (तिथि एवं समय)
     (ब) तीन महीने में उत्पादन का विवरण (तिथि एवं समय)
  3. निर्धारित क्षमता ..................%
  4. बायो-सी0बी0जी0 का उपयोग।

**4. प्रोत्साहन**

- नीति के अन्तर्गत स्थापित सभी संयंत्रों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से 10 वर्षों तक विद्युत शुल्क में शत-प्रतिशत छूट ऊर्जा अनुभाग-3 के शासनादेश सं0-2801/24-पी-3-2022, दिनांक 17.11.2022 के क्रम में प्रदान की जाएगी। इस हेतु निवेशक द्वारा उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से अवगत कराया जायेगा।
- इस नीति के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण (क्रय अथवा पट्टे) पर निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने के उपरांत शासनादेश के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
- भूमि के किसी विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आने की दशा में संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा विकास शुल्क में छूट ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने के उपरांत शासनादेश के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
- बायो-एनर्जी संयंत्रों की स्थापना, फीड स्टॉक संग्रह एवं भंडारण के लिए ग्राम सभा भूमि रू0 01 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह भूमि अहस्तांतरणीय होगी।

Scanned with CamScanner

**5. फीड–स्टॉक के लिए राज्य सहायता**

- जैव ऊर्जा संयंत्रों के लिए फीड–स्टॉक के रूप में बायोमास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर के नेतृत्व में जिला स्तरीय समिति का गठन अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के शासनादेश सं0–1140/87–8(1)अति0ऊ0स्रो0वि0/2022 दिनांक 12.10.2022 किया गया है, जो बायोमास की पर्याप्त आपूर्ति निर्बाध रूप में उचित मूल्य पर सुनिश्चित करेगी।
- बायोमास की आपूर्ति हेतु निवेशकर्ता तथा शासकीय मान्यता प्राप्त एग्रीगेटर्स (एफ.पी.ओ. या प्राथमिक सहकारी समितियाँ या गन्ना समितियों) जो उस कमांड एरिया/कैचमेंट एरिया में कार्यरत हों, के मध्य दीर्घावधि अनुबन्ध किया जाएगा। यह कार्य गैर–सरकारी एग्रीगेटर्स की मदद से भी किया जा सकेगा।
- उपरोक्तानुसार परिभाषित एग्रीगेटर्स को बेलर, रेकर और ट्रोलर की खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा दिये गये सब्मीशन ऑन एग्रीकल्चर रिकानाईजेशन के अतिरिक्त 30 प्रतिशत अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिकतम 20 लाख तक की सीमा तक दिया जाएगा। अनुदान सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की संस्तुति तथा क्रय उपकरणों के प्रपत्र प्रस्तुत करने पर प्रदान किया जाएगा।
- एक तहसील में एक से अधिक एग्रीगेटर होने की दशा में आवश्यकतानुसार एक से अधिक एग्रीगेटर को कृषि उपकरणों पर अनुदान हेतु जिला स्तरीय समिति संस्तुति कर सकती है।

**6. परिवहन हेतु पहुँच मार्ग का निर्माण**

जैव ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना पर रू0 50 करोड़ या उससे अधिक निवेश किये जाने की दशा में आवश्यकता के आधार पर अधिकतम 05 किमी तक संयंत्र से मुख्य मार्ग तक पहुँच मार्ग का निर्माण जनपद के जिलाधिकारी की संस्तुति पर कराया जाएगा।

7. यूपीनेडा द्वारा जैविक खाद की मार्केटिंग हेतु उद्यमी का कृषि विभाग, उद्यान विभाग, नगर निकाय, विकास प्राधिकरण इत्यादि संस्थाओं से समन्वय स्थापित कराया जाएगा।

8. यूपीनेडा द्वारा उद्यमी को समस्त रेगुलेटरी क्लीयरेन्स यथा– अग्निशमन, लैण्ड सीलिंग, कृषक से अकृषक भूमि कन्वर्जन, सरकारी भूमि की उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, पारेषण तन्त्र, विकास प्राधिकारण के डेवलपमेन्ट चार्जेज का वेवर इत्यादि के लिए उत्प्रेरक का कार्य किया जाएगा।

9. प्रदेश सरकार द्वारा अपशिष्ट/बायोमास आधारित उद्यम की स्थापना हेतु विकासकर्ता को स्वीकृति प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किये जाने तथा क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु नीति के प्रस्तर–6.10 के प्राविधान के अनुसार राज्य स्तरीय समिति का गठन शासनादेश सं0– 48/2022/1139/87–8(1) अति0ऊ0स्रो0वि0/2022, दिनांक 12.10.2022 द्वारा किया गया है।

Scanned with CamScanner

**10.** यूपीनेडा द्वारा निवेशकर्ता उत्पादित सीबीजी का उपयोग स्वयं द्वारा स्थापित सीबीजी पम्प में विक्रय हेतु किये जाने की स्थिति में सभी वैधानिक अनापत्तियों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान किया जाएगा।

**11.** निवेशक को बिना किसी व्यवधान के पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराने हेतु जनपद स्तर पर अपर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

**12.** उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) नोडल एजेंसी है। उपरोक्त कार्य में कठिनाई की स्थिति में उसके निवारण हेतु निदेशक, यूपीनेडा से सम्पर्क किया जाए।

भवदीय,

**(महेश कुमार गुप्ता)**
अपर मुख्य सचिव।

**संं0: 1461 (1)/81-8(1)अति0अति0ऊ0स्रो0वि0/2022, तद्दिनांक।**

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।
3. अपर मुख्य सचिव, कृषि, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, स्टॉम्प एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. अपर मुख्य सचिव, गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
9. निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0।
10. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
11. समस्त परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा।

आज्ञा से,

**(अनुपम शुक्ला)**
विशेष सचिव।

Scanned with CamScanner